भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1831

उत्तर देने की तारीख 01.08.2024

कच्चा माल सहायता योजना

1831. **श्री प्रदीप कुमार सिंह:**

श्री हनुमान बेनीवालः

श्री सतपाल ब्रह्मचारी

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सुविधाएं प्रदान करने के लिए मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) ने इन उद्योगों को कच्चा माल सहायता योजना के अंतर्गत कच्चा माल के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए बैंक ऋण के विरूद्ध वित्तीय सहायता/स्थायी सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान, बिहार और विशेष रूप से हरियाणा के सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उद्योगपतियों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विनिर्माण में लगे एमएसएमई के लिए मशीनरी निवेश हेतु रियायत सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) इस मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जो सामग्रियों की खरीद और एमएसएमई को इनकी आपूर्ति के लिए नालको, सेल और आरआईएनएल आदि जैसे थोक विनिर्माताओं के साथ व्यवस्थाएं करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उनकी कच्चे माल की जरूरतों को पूरा करने में सुविधाएं प्रदान करता है। एनएसआईसी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने हेतु बैंक गारंटी के एवज में अपनी कच्चा माल सहायता (आरएमए) स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है। बैंक गारंटी के एवज में एमएसएमई की जरूरतों के अनुसार उनके द्वारा चिह्नित आपूर्तिकर्ताओं/स्रोतों से सामग्रियों की खरीद के लिए भी ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान, बिहार और हरियाणा में उद्योगों को एनएसआईसी द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	सहायता राशि (करोड़ रुपए में)
राजस्थान	938.46
बिहार	41.52
हरियाणा	197.41

जिला-वार आंकड़ों का रख-रखाव केंद्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ): सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से कई उपाय किए है। इन स्कीमों और कार्यक्रमों में एमएसएमई चैंपियंस स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) तथा एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैंप) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलों का शुभारंभ किया हैं। उनमें से कुछ हैं:-

i. क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से ऋण की विभिन्न श्रेणियों के लिए 85% तक की गारंटी कवरेज के साथ एमएसई को 500 लाख रुपये की सीमा तक संपार्श्विक मुक्त ऋण।
ii. आत्म निर्भर भारत (एसआरआई) निधि के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन। इस स्कीम में भारत सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए की निधि का प्रावधान है।
iii. उन्नत सीमाओं के साथ एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नए मानदंड।
iv. व्यवसाय की सुगमता के लिए "उद्यम पंजीकरण पोर्टल" के माध्यम से एमएसएमई का निःशुल्क पंजीकरण।
v. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।
vi. एसएमई की स्थिति में उर्ध्वगामी परिवर्तन की स्थिति में 3 वर्षों के लिए गैर-कर का लाभ प्रदान किया गया है।
vii. अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औपचारिक दायरे में लाने हेतु उद्यम सहायता मंच (यूएपी) का शुभारंभ किया गया।
viii. 18 परंपरागत व्यवसायों में संलग्न कारीगरों और शिल्पकारों को आरंभ से अंत तक समग्र सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम का शुभारंभ किया गया।

*****